

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 185/2021 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
आई. डी. एफ. सी. फस्ट बैंक लि., सैकण्ड पलोर, मन उपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम,
एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी श्री अक्षय खण्डेलवाल ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. रामजीलाल सामोता पुत्र श्री भैरूलाल सामोता
पता :- सामोता की ढाणी, वार्ड नम्बर 21, देवन रोड, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
एवं नेहरा हॉस्पिटल, शाहपुरा, जयपुर।
एवं फर्स्ट पलोर, ब्लॉक-सी, पलेट नम्बर 203, वार्ड नम्बर 03, गिन्नी हौम्स, शाहपुरा, जयपुर।
2. श्रीमती सीमा देवी पत्नी रामजीलाल सामोता
पता :- सामोता की ढाणी, वार्ड नम्बर 21, देवन रोड, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
एवं फर्स्ट पलोर, ब्लॉक-सी, पलेट नम्बर 203, वार्ड नम्बर 03, गिन्नी हौम्स, शाहपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
Interest Act, 2002.

उपस्थित:-

1. श्री के.के. सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 07.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
29.03.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सीमा देवी के स्वामित्व
की आवासीय सम्पत्ति पलेट/यूनिट नम्बर 203, फर्स्ट पलोर, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, गिन्नी
होम्स, वार्ड नम्बर 3, शाहपुरा, जयपुर स्थित क्षेत्रफल 350 वर्गफीट को बन्धक रख कर
5,90,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था
को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी
को दिनांक 19.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद
ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and

- reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
 3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
 4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत रिजर्व बैंक द्वारा 20 मई 2019 को क्रम संख्या 69 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
 5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगण को 5,90,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 3,60,153.77/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त नोटिस दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
 6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती सीमा देवी के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति फ्लेट/यूनिट नम्बर 203, फर्स्ट फ्लोर, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, गिन्नी होम्स, वार्ड नम्बर 3, शाहपुरा, जयपुर स्थित क्षेत्रफल 350 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर